न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –68/2013 (अपील)

1. रामलटूर पुत्र स्व0 श्री छोटूलाल
2. बिरधीलाल पिता स्व0 छोटूलाल
3. फूलचन्द पुत्र छोटूलाल
4. धनराज पुत्र स्व0 छोटूलाल
5. कैलाश बाई पुत्री स्व0 छोटूलाल
6. चन्दा बाई पुत्री स्व0 छोटूलाल
7. गंगा बाई पत्नि स्व0 छोटूलाल जाति माली निवासीगण ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. गजानन्द पुत्र स्व0 नाथू
2. भैरूलाल पुत्र स्व0 नाथू
3. गणेश पुत्र स्व0 नाथू
4. राधेश्याम पुत्र स्व0 नाथू
5. फूलका पुत्री स्व0 नाथू
6. शंकर पुत्र रामचन्द्र
7. सुरेश पुत्र स्व0 रामचन्द्र
8. दिनेश पुत्र स्व0 रामचन्द्र
9. ओम प्रकाश स्व0 रामचन्द्र
10. धनकंवर पुत्री स्व0 रामचन्द्र
11. शांति देवी स्व0 रामचन्द्र जाति माली
12. राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अण्डर सेक्शन 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामातकरण संख्या 192 आदेश दिनांक 30.6.2008 ग्राम नान्ता तहसीलदार लाडपुरा

उस्थिति

1. श्री बनवारीलाल गौत्तम, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक– 26.02.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा नामा0 सं0 192 ग्राम कंसुआ में दिनांक 30.06.2008 को आदेश पारित कि–" मुताबिक रिकार्ड एवं रिपोर्ट पटवारी, जांच भू.अ.निरीक्षक अनुसार नाथू उर्फ नाथ्या के वारिसान के हक में सजरे अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।

Scanned by CamScanner

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.02.2013 को पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नामा0 सं0 192 दिनांक 30.6.08 विधि विरूद्व एवं न्याय संचिका में सिद्वी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 के पिता नाथू उर्फ नाथ्या अपने बाबा गोट्या के यहां गोद चला गया था जिसकी पुष्टि नामा0 सं0 192 से होती है क्योंकि हल्का पटवारी द्वारा नामा0 खोलते समय नाथू को गोट्या का गोदपुत्र बताया गया है जो अपने जीवनकाल में अपने बाबा के गोद चला गया तथा तब से अपने बाबा की सम्पत्ति का वारिस है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि नाथू, नेता का पुत्र होने के बावजूद अपने बाबा गोट्या के यहां गोद चला गया जिसकी पुष्टि नकल जमाबंदी सं0 2067 –70 से होती है , जिसका इन्द्राज भू प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग की नकल सं0 2016–70 से होती है, जिसका इन्द्राज भू प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग की नकल सं0 2016–24 में है जिसमें नाथू, गोट्या (बाबा) के गोद चला गया है इसलिए विवादित जमीन खाता सं0 44, 45, 46 में गलत तरीके से नामा0 खुलवा लिया जिसका रेस्पो0 को कोई कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 160/341, की 0.03 , 163 की 0.04, 164 की 0.05, 172 की 0.32, 170 की 0.12, 171 की 0.10 कुल रकबा 0.65 हे0 वाके ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित आराजी में रेस्पो0 का कोई हिस्सा नहीं बनता है । इसलिए इंतकाल त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इन्तकाल खोलते समय इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया, दौराने सेटलमेंट अपी0 व रेस्पो0 क खाते अलग नहीं हुये नकल जमाबंदी सं0 2018 से 2024 में खाता सं0 41,42 में नाथू मुतबन्ना गोट्या दर्ज है, जो अपने पिता नेता के जीवन काल में ही पिताजी नेता द्वारा ग्राम गिरधरपुरा में अपने बाबा के यहां गोद चला गया था तब से गोट्या की सम्पत्ति पर काबिज काश्त चला आ रहा है रि भी रेस्पो0 के बदयान्ति आ जाने के कारण अपी0 के खाते में नामा0 सं0 192 के जरिये खाता सं0 44,45,46 में गलत तरीके से नामा0 दर्ज करवा लिया जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार नही था । उक्त नामा0 की प्रथम जानकारी जब हुई तब रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजी से अपी0 को बेदाल करने की कोशिश की व लड़ाई झगडा करने पर उतारू हुए तब दिनांक 27.1.2013 को जानकारी हुई । इस पर इंतकाल की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.1.2013 को प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 5.2.2013 को नकल प्राप्त कर अपील पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इंतकाल नं0 192 निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया । वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 के पिता नाथू उर्फ नाथ्या अपने बाबत गोट्या के यहां गोद चला गया था जिसकी पुष्टि नामा0 सं0 192 से होती है क्योंकि हलका

Scanned by CamScanner

पटवारी द्वारा नामा0 खोलते समय नाथू को गोट्या का गोदपुत्र बताया गया है जो अपने जीवनकाल में अपने बाबा के गोद चला गया तथा तब से अपने बाबा की सम्पत्ति का वारिस है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि नाथू, नेता का पुत्र होने के बावजूद अपने बाबा गोट्या के यहां गोद चला गया, जिसका इन्द्राज भू प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग की नकल सं0 2016–70 से होती है, जिसका इन्द्राज भू– प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग की नकल सं0 2016–24 में है जिसमें नाथू, गोट्या (बाबा) के गोद चला गया है इसलिए विवादित जमीन खाता सं0 44, 45, 46 में गलत तरीके से नामा0 खुलवा लिया जिसका रेस्पो0 को कोई कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 160/341, की 0.03 , 163 की 0.04, 164 की 0.05, 172 की 0.32, 170 की 0.12, 171 की 0.10 कुल रकबा 0.65 हे0 वाके ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित आराजी में रेस्पो0 का कोई हिस्सा नहीं बनता है । इसलिए इंतकाल त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इन्तकाल खोलते समय इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया दौराने सेटलमेंट अपी0 व रेस्पो0 के खाते अलग नहीं हुये नकल जमाबंदी सं0 2018 से 201से 24 में खाता सं0 41,42 में नाथू मुतबन्ना गोट्या दर्ज है, जो अपने पिता नेता के जीवन काल में ही पिताजी नेता द्वारा ग्राम गिरधरपुरा में अपने बाबा के यहां गोद चला गया था तब से गोट्या की सम्पत्ति पर काबिज काश्त चला आ रहा है फिर भी रेस्पो0 के बदयान्ति आ जाने के कारण अपी0 के खाते में नामा0 सं0 192 के जरिये खाता सं0 44,45,46 में गलत तरीके से नामा0 दर्ज करवा लिया जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार नही था ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट का अपनी बहस में कथन है कि कोई भी व्यक्ति किसी के गोद चले जाने से उसके अपनी पैतृक सम्पत्ति से अधिकार खत्म नहीं हो जाते है । इस प्रकरण में नाथू उर्फ नाथ्या गोट्या के गोद चला गया किन्तु अपने पिता की सम्पत्ति में कानूनन अधिकार है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामा0 सं0 192 में कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने अपीलांट की बहस सुनी,व बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । उक्त जेर अपील नामा0 सं0 192 ग्राम नान्ता दिनांक 30.6.2008 के विरूद्व दिनांक19.2.2013 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथं पेश की गई है । अपील विलम्ब से पेश की गई है किन्तु अपील प्रस्तुत करने में जानकारी की तिथि से अपील प्रस्तुत करने की दिनांक के समय को न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए कन्डोन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

7. वकील अपीलांट उक्त नामान्तकरण में त्रुटि के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बता पाएं है जिससे नामान्तकरण खारिज योग्य हो । वकील रेस्पोडेन्ट के तर्को से हम सहमत है कि जैर अपील नामान्तकरण में नाथू उर्फ नाथ्या, गोट्या के गोद चले जाने से उसके पिता की पैतृक सम्पत्ति में

Scanned by CamScanner

अधिकार समाप्त नहीं होते है । ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तकरण तस्दीक करने में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है ।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय कानामा0 सं0 192 ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner